राजस्थान–सरकार

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली (राज0)

"स्वास्थ्य भवन" आर.टी.ओ. कार्यालय के पास, जोधपुर रोड, पाली–मारवाड पिन 306401

फोन न. 02932-257555, (Email Id : cmho-pal-rj@nic.in)

क्रमांक:कोविड–19/2021/4687–88 दिनांक 21.05.2021

::–विज्ञप्ति ::–

श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान–सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर दिनांक 18.05.2021 के द्वारा प्रदेश मे कोविड–19 से उत्पन्न वर्तमान परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य मे राज्य सरकार द्वारा संक्रमण की श्रृंखला को तोडने, कोविड से सक्रमित मरीजो को समुचित उपचार, चिकित्सकीय सेवाऐं उपलब्ध कराने तथा मृत्यु दर को न्यूनतम किये जाने हेतु प्रदेश मे संचालित घर–घर सर्वे एवं दवाई वितरण के कार्य को गति प्रदान करने के दृष्टिगत **"कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट"** एवं **"कोविड स्वास्थ्य सहायक"** को 31 जुलाई 2021 तक के लिये निम्नांकित योग्यताधारियो से आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते है।

S.No.	Name Of Contractual Post	No. Of Post	Essential Qualification	फिक्स मानदेय प्रतिमाह	विशेष विवरण
1	कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट	30	MBBS With RMC Registration Certificate	39300/–	प्राथमिकता–पीजी/एमडी–मेडिसन एवं एमडी–एनेस्थिसिया वाले अभ्यार्थियो को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी शेष हेतु एमबीबीएस में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट अनुसार
2	कोविड स्वास्थ्य सहायक	निर्देशानुसार	GNM With RNC Registration Certificate	7900/–	प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर 01 पद, प्रत्येक प्राथ.स्वा.केन्द्र पर 02 पद, प्रत्येक सामु.स्वा.केन्द्र पर 03 पद, शहरी क्षेत्र हेतु प्रति वार्ड 02 पदो का कोविड स्वास्थ्य सहायको का चयन किया जाना है।

निर्धारित योग्यताधारी आवेदनकर्ता अपना आवेदन स्वंय हस्ताक्षरित बायोडाटा, पासपोर्ट साइज फोटो एवं निधारित योग्यता के प्रमाण पत्रो की स्वय प्रमाणित छायाप्रति व मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है।

अभ्यार्थियो से दिनांक 25.05.2021 को सांय 03 बजे तक प्राप्त आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जावेगे। निर्धारित तिथी पश्चात किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नही किया जायेगा।

"कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट" एवं "कोविड स्वास्थ्य सहायक" को 31 जुलाई 2021 तक ही चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु रखा जाना है। प्रथमतः पाली जिले के अभ्यार्थियो को प्राथमिकता दी जायेगी।

योग्य आवेदक अपने अपने आवेदन पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली कार्यालय मे जमा करावे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
पाली